



38RAJ09003

खान नियंत्रित सं. RAJ/CHTT/LST-6 Vol III
सेवा मेंM/s JK Cement Works
Kailash Nagar
Nimbahera
Chittaurgarh (Raj)
PIN: 313617

विषय:

राजस्थान राज्य के जिला चित्तोड़गढ़ निकट ग्राम मलियाखेड़ा स्थित, आपकी मलियाखेड़ा तूनपत्थर खान में

(एमएल एरिया 315.4090 है.), खनिज संरक्षण व विकास नियमावली 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन.

महोदय

अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 17.05.2016 को आपकी उपरोक्त खान के निरीक्षण करने के दौरान खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 1988 के नियमालिखित प्रावधानों के उल्लंघन पाये गये:

नियम सं	पाये गए उल्लंघन की विवरत प्रकृति
13(1)	The progressive mining closure plan was implemented as per reclamation plan plate no. 8 for the year 2015-16, as approved in the Scheme of Mining (Approved vide letter No. 682(23) (MP-459)/2008- UDP, dated 20.05.2015) for the year 2015-16
29	Copies of Plan and sections required to be maintained under rule 28 have not been submitted.

45(1) The lessee has not been registered himself with the IBM for mining etc. as required under this rule.
 इस संबंध में आपके ध्यान में लाया जाता है की इन नियमोंप्रावधानों का उल्लंघन खनिज संरक्षण व विकास नियमावली, 1988 के नियम 58 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। इसके अतिरिक्त नियम 13(1) की अनुपालन न होने पर नियम 13(2) के तहत खनन कार्य स्थगित करने की अनुशंसा क्षेत्रीय खान नियंत्रक से की जा सकती है।

अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का तत्काल सुधार कर इसकी सूचना इस पत्र के जारी होने की तिथि से 45 (पेतालीस) दिनों के अंदर इस कार्रालय को भेजें।

भवदीय,
६
(पुष्पेन्द्र गोड)
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान व्यूरो

- इस पर नहीं
प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु भेषित:-
- 1 खान नियंत्रक (उ.) भारतीय खान व्यूरो, अजमेर।
 - 2 निदेशक खान एवं ख विज्ञान निदेशालय, उदयपुर (राजस्थान)
 - 3 स्विकृत पत्रावली।
- 4 का. प्र.

26/05/2016
उप खान नियंत्रक
भारतीय खान व्यूरो